

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Friday, 23 March 2018 / 02 Chaitra 1940 (Saka)

No. 71

02.06 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.07 PM **Tribute to Martyrs :**
The House paid tributes to the freedom fighters Shaheed Bhagat Singh, Shaheed Sukhdev and Shaheed Rajguru on the occasion of *Saheedi Diwas* and observed two minutes silence as a mark of respect to the Martyrs.
2. 2.09 PM **Question Hour :**
Starred Questions No. 81, 82, 84 to 90 were asked and replied to. Replies to Starred Questions No. 91 to 100 (except Question No. 96) and Un-Starred Questions No. 225 to 279 (except 242, 276, 277 & 278) were placed on the table.
Replies to Starred Question No. 96 and Unstarred Questions No. 242, 276, 277 & 278 were not received from the departments concerned.
3. 2.59 PM The Chair, Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister, Shri Mohinder Goyal, Shri Manjinder Singh Sirsa and Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition welcomed the decision of Hon'ble High Court to quash opinion of the Election Commission of India dated 19 January 2018 and consequent Order/Notification dated 20 January 2018 regarding disqualification of 20 MLAs of Aam Admi Party for holding Offices of profit.
4. 3.07 PM **Special Mention(Rule-280):**
The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
 1. Shri Narayan Dutt Sharma (*Minister of PWD intervened*)
 2. Shri Jitender Singh Tomar (*Minister of PWD intervened*)**(3.16 PM) {The Chair announced that in view of the decision of the Hon'ble High Court, the 20 disqualified MLAs' could take part in the proceedings of the House.}**
 3. Shri Sahi Ram (*Minister of Power intervened*)
 4. Shri Manjinder Singh Sirsa
 5. Smt. Bandana Kumari
 6. Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition
 7. Shri Somnath Bharti
 8. Shri Jagdish Pradhan
 9. Shri Vishesh Ravi
(*Shri Som Dutt and Shri Manjinder Singh Sirsa also expressed their views on the matter raised by Shri Vishesh Ravi*)
 10. Shri Naresh Balyan
 11. Ms. Rakhi Birla
5. 3.59 PM **Shri Jitender Singh Tomar** moved the following motion :
"That Shri Om Prakash Sharma, Member of BJP who was suspended for remaining part of the session on 19 March 2018 be allowed to take part in the proceedings of House. "
Motion was put to vote and adopted by voice-vote.
6. 4.04 PM **Shri Kailash Gahlot**, Hon'ble Minister of Transport made a statement regarding to replies to Starred Questions No. 41, 48, 49 & 52 pertaining to the Transport Department as per his assurance to the House on 21 March 2018.
7. 4.29 PM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes for tea-break.**
8. 5.06 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.
9. 5.07 PM **Calling Attention (Rule-54) :**
The following Members called the attention of **Hon'ble Minister of Food & Supply** towards '*the delay in implementation of doorstep delivery of ration*':
 1. Shri Pankaj Pushkar
 2. Shri Prakash Jarwal
 3. Shri Manoj Kumar
 4. Shri Amanatullah Khan

5. Shri Vijender Gupta, Leader of Opposition
Shri Imran Hussain, Hon'ble Minister of Food & Supplies replied.
10. 6.01 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) :**
Shri Saurabh Bharadwaj initiated discussion on “*severe water scarcity caused due to alarming level of ammonia in water released by Haryana*”.
(6:11 PM : The Chair extended the sitting of the House upto 7.00 PM)
The following Members participated in the discussion :
1. Shri Akhilesh Pati Tripathi
 2. Shri Vishesh Ravi
 3. Shri Narayan Dutt Sharma
 4. Shri Nitin Tyagi
 5. Shri Jagdish Pradhan
 6. Shri Rajesh Gupta
 7. Shri Kapil Mishra
- Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Health** replied to discussion.
11. 6.41 PM **PRIVATE MEMBERS' BUSINESS**
Private Members' Resolutions :
1. **Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition** moved the following Resolution :-
“*This House resolves that the Government should work sincerely to implement the schemes for labourers as provided under Labour Welfare Fund; It also further resolves that wide publicity should be given to these schemes as most of the labourers are not able to avail the benefits as they are not aware of the provisions of this Fund.*”
Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Labour replied.
The Resolution put to vote and rejected by voice-vote.
(*The following Resolution to be moved by Ms. Bhavna Gaur could not be taken up as she was not present in the House :-*
“*This House resolves that Government should immediately take steps to put an end to the brutality perpetrated by the Delhi Police against innocent shopkeepers and residents under the garb of sealing drive.*”)
12. 7.01 PM 2. **Sh. Jagdish Pradhan** moved the following Resolution :-
“*This House resolves that the Report of the Fifth Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi should be tabled in the House immediately on its receipt and its recommendations also be implemented without any delay; This House further resolves that the funds be released to the North, East and South Municipal Corporations as per the recommendations of the Fourth Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi.*”
Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Health replied.
The Resolution was put to vote and rejected by voice-vote.
13. 7.15 PM The Chair announced that ‘Mahavir Jayanti’ would be celebrated on 29 March 2018 at 4.30 PM in the Assembly lawns.
14. 7.16 PM **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Monday, 26 March 2018.**

Delhi
23 March, 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/02 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या-71

2.06 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.07 बजे

शहीदों को श्रद्धांजलि:

अध्यक्ष महोदय ने 'शहीदी दिवस' के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु तथा शहीद सुखदेव को श्रद्धांजलि दी तथा शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया गया।

2. 2.09 बजे

प्रश्न काल: तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 84 से 90 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 91 से 100 (96 को छोड़कर) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 225 से 279 (242, 276, 277 एवं 278 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 96 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 242, 276, 277 एवं 278 के उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए।

3. 2.59 बजे

अध्यक्ष महोदय, श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र गोयल, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद धारण करने के लिए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग की राय दिनांक 19 जनवरी 2018 और अनुवर्ती आदेश/अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2018 को निरस्त करने के निर्णय का स्वागत किया।

4. 3.07 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये:-

1. श्री नारायण दत्त शर्मा (लोक निर्माण मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
2. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर (लोक निर्माण मंत्री ने हस्तक्षेप किया)

(3.16 बजे) अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत अयोग्य ठहराये गये 20 विधायक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

3. श्री सही राम (उर्जा मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
4. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
5. श्रीमती बंदना कुमारी
6. श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष
7. श्री सोमनाथ भारती
8. श्री जगदीश प्रधान
9. श्री विशेष रवि

(श्री सोम दत्त एवं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी श्री विशेष रवि द्वारा उठाये गये मामले पर अपने विचार व्यक्त किये)

10. श्री नरेश बाल्यान
11. सुश्री राखी बिडला

5. 3.59 बजे

श्री जितेन्द्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:

“भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा, जिन्हें दिनांक 19 मार्च 2018 को सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया गया था, उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाये।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

6. 4.04 बजे

श्री कैलाश गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री ने दिनांक 21 मार्च 2018 को सदन में दिये गये अपने आश्वासन के अनुसार, परिवहन विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 41, 48, 49 एवं 52 के उत्तरों के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. 4.29 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए 30 मिनट तक स्थगित की।

8. 5.06 बजे

सदन पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

9. 5.07 बजे

ध्यानाकर्षण (नियम-54) :

निम्नलिखित सदस्यों ने “दहलीज पर राशन उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब” के संबंध में **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** का ध्यान आकर्षित किया:

सदस्यों ने उपरोक्त मामले पर अपने विचार व्यक्त किये :

1. श्री पंकज पुष्कर
2. प्रकाश जारवाल
3. श्री मनोज कुमार
4. श्री अमानातुल्ला खां
5. श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष

श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने उत्तर दिया।

10. 6.01 बजे

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :

श्री सौरभ भारद्वाज ने “हरियाणा द्वारा छोड़े गए पानी में खतरनाक स्तर पर अमोनिया होने के कारण पानी की अत्यधिक कमी” के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

[6.11 बजे : अध्यक्ष महोदय ने बैठक की अवधि सांय 7.00 बजे तक के लिए बढ़ाई]

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
2. श्री विशेष रवि
3. श्री नारायण दत्त शर्मा
4. श्री नितिन त्यागी
5. श्री जगदीश प्रधान
6. श्री राजेश गुप्ता
7. श्री कपिल मिश्रा

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

11. 6.41 बजे

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प :

1. **श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

“यह सदन संकल्प करता है कि सरकार को श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत श्रमिकों के लिए प्रदत्त योजनाओं को लागू करने हेतु गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए।

सदन यह भी संकल्प करता है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए क्योंकि इस निधि के प्रावधानों से अवगत न होने के कारण अधिकांश मजदूर इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।”

श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से अस्वीकार हुआ।

(**सुश्री भावना गौड़** द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले निम्नलिखित संकल्प को सदन में उनकी अनुपस्थिति के कारण नहीं लिया जा सका :-

“यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में चल रहे सीलिंग अभियान की आड़ में दिल्ली पुलिस द्वारा निर्दोष दुकानदारों तथा निवासियों के साथ की जा रही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा अविलम्ब कदम उठाए जाएं।”)

12. 7.01 बजे

2. **श्री जगदीश प्रधान** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

“यह सदन संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पाँचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सदन पटल पर तुरन्त रखी जाए और इसकी सिफारिशें अविलम्ब कार्यान्वित की जाएं।

सदन यह भी संकल्प करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी नगर निगमों को फंड जारी किए जाएं।”

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से अस्वीकार हुआ।

13. 7.16 बजे

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दिनांक 29 मार्च 2018 को अपराह्न 4.30 बजे विधानसभा के लॉन में ‘महावीर जयंती’ मनाई जायेगी।

13. 7.16 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।